



भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पांचवीं तल
Kendriya Bhawan, 5th Floor
सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024
टेलीफोन/Telefax: 0522-2326696

पत्र सं०: 8बी/यूपी/09/77/2017 / 909

दिनांक 16 मार्च, 2018

सेवा में,
नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक
उपरो वन विभाग
17, राणा प्रताप मार्ग
लखनऊ।

विषय: गैल इंडिया लि० लखनऊ द्वारा प्रस्तावित परियोजना 24"/36" नेचुरल गैस पाईप लाईन झांसी-औरंगा फूलपुर के निर्माण हेतु झांसी, उरई, औरंगा, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद वन प्रभागों में प्रभावित कुल 29064771643 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 1538 वृक्षों/पौधों के पतन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-आपका पत्रांक 2530/11-सी-FP/UP/Other/23971@2017 दिनांक 26.02.2018

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से इस कार्यालय के समस्त्यक पत्र दिनांक 01.01.2018 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/आस्था मांगी गयी जानकारी/सूचना प्रेषित की गयी है। इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि प्रेषित की गयी जानकारी के तहत निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण की पुन आवश्यकता है-

1. प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत FRA 2006 प्रमाणपत्र का प्रारूप/कथन सही नहीं है।
2. राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव के भाग-II में वृक्षों/पौधों की संख्या में विरंगमति का निस्तारण किया जाए।
3. इन वृक्षों हेतु सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। प्रकरण में किसी भी प्रकार के वित्ताम्ब के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी।

प्रामाणिकता
महोदय

सुबोध सिंह

महोदय

(वृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

सा0वा0, उन्नाव
2279
संख्या 294
26/3/18

19/3/18

5/10/18
300/3/18
27/3/18

पत्रांक 4511 /14-1 (गैर इंडिया) दिनांक 05/4/2018

प्रतिलिपि मुख्य प्रबन्धक (निर्माण), जेल इंडिया लि० बिधुति (वृक्ष, गैर वानिकी) को भेजिए कि सम्बन्धित बिन्दुओं की रिपोर्ट/आस्था स्वरूप प्रेषित की जाए ताकि प्रस्ताव पर उचित कार्रवाई प्रतिलिपि प्रेषित की जाए।
प्रमाणिक निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग